CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

"WAREHOUSING BHAWAN"
4/1, SIRI INSTITUTIONAL AREA,
HAUZ KHAS, NEW DELHI - 110 016.

NO: CWC-BD/IV-Gorakhpur-II/82 Dated: 30-10-96.

CIRCULAR

The book transfer of stocks from one depositor to another without actual shifting of the same was allowed by the Head Office vide Circular dated 29-10-85. The book transfer was allowed only when the transaction is between the two Govt. departments/Undertakings. During the last few years, Head Office has received many representations from various fertiliser depositors as well as from the Regional Managers to allow book transfer of the stocks in case of private parties also.

Keeping in view the constant demand of the depositors especially the fertilisers depositors for book transfer of stocks, the matter has been re-examined and it has been decided to allow book transfer in case of private Parties also subject to the following conditions:

1. Book transfer will be allowed on the specific request of the depositor on "as is where is" basis. The original acknowledgement will be cancelled with the specific remark and new acknowledgement will be issued in the name of transferee and transferee will accept the stock on branded weight/book weight.

2. In case of cut and torn bags, the standardisation will be got done by the original depositor at their own cost and the actual number of bags received after standardisation will be transferred in the name of allottee. In case of part stack, number of bags transferred will be shifted to some other stack, at the cost of the transferer.

3. The transferee will be treated as a separate depositor who will have to bear the storage charges for the stock transferred. The book transfer will be allowed by the Regional Manager by examining the each case on merit.

4. The Warehouse Managers as well as Regional Managers will have to be very particular in effecting such book transfer in case of any price revision of all fertilisers due to Government's intervention.

The transfer of stocks shall be allowed only on written request from the transferee and transferer. While effecting the transfer a written confirmation may also be obtained from the Warehouse Manager that the charges for shifting of stocks, standardisation loss and the storage charges upto a particular date would be paid by them so that there is no confusion at later stage. Thisis in partial supercession of Head Office Circular No.CWC-BD/XVI-30/76 dated 29.10.85.

Ajay Khera

(AJAY KHERA)
COMMERCIAL MANAGER

CIRCULATION:

1. All Regional Managers, CWC, Regional Offices.
2. All Warehouse Managers, Central Warehouses,
3. All Divisional Heads at Head Office, CWC, New Delhi.
4. All Dy.Managers in Business Division, CWC, HO, New Delhi.
5. O & M Cell, CWC, HO, New Delhi.
6. Master file.

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

"वेअरहाउसिंग भवन",
4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
हौज़खास, नई दिल्ली-110 016.

सं0:सी.डब्ल्यू.सी.-बी.डी./4-गोरखपुर-II/82 दिनांक : 30-10-96

प रि प त्र

स्टॉक को वास्तविक रूप से शिफ्ट किए बिना एक जमाकर्ता से दूसरे जमाकर्ता के नाम बही में हस्तान्तरण करने की अनुमति मुख्यालय के दिनांक 29-10-85 के परिपत्र द्वारा दी गई थी । बही में हस्तांतरण की अनुमति केवल उसी अवस्था में थी जब यह दो सरकारी विभागों/उपक्रमों के मध्य हो । पिछले कुछ वर्षों में मुख्यालय को विभिन्न उर्वरक जमाकर्ताओं तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकों से काफी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्राइवेट पार्टियों के मामले में भी स्टॉक के बही हस्तान्तरण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है ।

जमाकर्ताओं और विशेषकर उर्वरक जमाकर्ताओं द्वारा स्टॉक के बही-हस्तान्तरण की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए इस मामले की पुनः समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राइवेट पार्टियों के मामले में भी बही-हस्तान्तरण की अनुमति दे दी जाए :

1. जमाकर्ता के स्पष्ट अनुरोध पर तथा "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर स्टॉक के बही-हस्तान्तरण की अनुमति होगी । मूल पावती को निरस्त करते हुए उस पर इस आशय का स्पष्ट रिमार्क दिया जाएगा । जिस व्यक्ति के नाम स्टॉक हस्तान्तरित किया गया है उसके नाम नई पावती जारी की जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति द्वारा स्टॉक को अंकित भार/बही भार के अनुसार स्वीकार किया जाएगा ।
2. कटे-फटे बोरों के मामलों में मानकीकरण मूल जमाकर्ता द्वारा स्वयं अपने खर्चे पर करवाया जाएगा तथा मानकीकरण के पश्चात् बोरों की वास्तविक संख्या को आबंटी के नाम हस्तान्तरित किया जाएगा । यदि पार्ट स्टैक (चट्टे) से दूसरे चट्टे में बोरे स्थानान्तरित किए जायेंगे तो उन्हें हस्तान्तरित किए जाने वाले व्यक्ति के खर्चे पर ही किया जाएगा ।
3. जिस व्यक्ति के नाम स्टॉक हस्तान्तरित किया गया है उसे अलग जमाकर्ता माना जाएगा तथा उस व्यक्ति को हस्तान्तरित स्टॉक के लिए भण्डारण प्रभार वहन करने होंगे । प्रत्येक मामले में जाँच के बाद ही गुण-अवगुण आधार पर क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा बही-हस्तान्तरण की अनुमति दी जाएगी ।
4. यदि सरकार द्वारा उर्वरकों के मूल्य में कोई संशोधन किया जाता है तो वेअरहाउस प्रबन्धकों तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकों को इस प्रकार के बही-हस्तान्तरण के समय विशेष ध्यान रखना होगा ।

......2......

जिस व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण किया जाना है जिनसे हस्तान्तरण होना है , के लिखित अनुरोध पर स्टॉक का हस्तान्तरण किया जाएगा । हस्तान्तरण करते समय वेअरहाउस प्रबन्धक से इस आशय की लिखित पुष्टि प्राप्त कर ली जाए कि स्टॉक की शिफ्टिंग, मानकीकरण हानि तथा एक निश्चित तारीख तक भण्डारण प्रभार उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगे ताकि बाद में किसी प्रकार के भ्रम या शंका की कोई गुंजाइश न रहे । यह मुख्यालय के दिनांक 29.10.85 के परिपत्र सं0 सी.डब्ल्यू.सी./बीडी-16-30/76 के आंशिक अधिक्रमण में है ।

(अजय बेहरा)
वाणिज्यिक प्रबन्धक

वितरण

1. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक ।
2. सभी वेअरहाउस प्रबन्धक ।
3. मुख्यालय में सभी विभागाध्यक्ष ।
4. व्यापार विभाग में सभी उप प्रबन्धक ।
5. ओ. एण्ड एम.सैल ।
6. मास्टर फाइल ।